



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042023-245015
CG-DL-E-08042023-245015

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594]
No. 1594]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2023

का.आ. 1673(अ).—राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की अधिसूचना में का.आ. 544(अ), दिनांक 6 फरवरी 2018 के क्रमांक संख्या 27 (तालिका के कॉलम संख्या 5) और का.आ. 3984(अ), दिनांक 13 अगस्त 2018 के क्रमांक संख्या 6 (तालिका के कॉलम संख्या 8) खुदरा मूल्य के निर्धारण से संबंधित, भारत के असाधारण राज पत्र में प्रकाशित, उल्लिखित निर्माता का नाम अब से "मैसर्स सिनोकेम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड" के बजाय "मैसर्स टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड" के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांक 6 फरवरी 2018 के का.आ. 544(अ) के क्रमांक संख्या 27 और दिनांक 13 अगस्त] 2018 के का.आ. 3984(अ) के क्रमांक संख्या 6] में उल्लिखित सभी नोट्स और अन्य सामग्री समान रहेगी।

[कां.सं./243/111/2023/एफ/ फा. सं. 8(111)/2023/डीपी/एनपीपीए-डिवी-II]

महावीर सैनी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ADDENDUM**

New Delhi, the 6th April, 2023

S.O. 1673(E).—In the National Pharmaceutical Pricing Authority's notification S.O. 544(E), dated 6th February 2018 at Sl. No. 27 (Column 5 of Table) and S.O. 3984(E), dated 13th August 2018 at Sl. No. 6 (Column 8 of Table) relating to fixation of retail price, published in the Gazette of India, Extraordinary, the name of the manufacturer mentioned is to be henceforth, read as “M/s Torrent Pharmaceuticals Ltd.” instead of “M/s Synokem Pharmaceuticals Limited”.

2. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 544(E), dated 6th February 2018 related to Sl. No. 27 and S.O. 3984(E) dated 13th August 2018 related to Sl. No. 6 of the table shall remain same.

[PN/243/111/2023/F/ F. No. 8(111)/2023/D.P./NPPA-Div.-II]

MAHAVEER SAINI, Dy. Director